जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

सामान्य दिशा निर्देशिका

प्री–शिक्षाशास्त्री (पी.एस.एस.टी.) परीक्षा–2025

संरक्षक

प्रोफेसर डॉ॰ रामसेवक दुबे

कुलपति

समन्वयक

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा

कुलसचिव

अतिरिक्त समन्वयक

श्री मुकेश कुमार वर्मा

वित्त नियंत्रक

सह–समन्वयक	सह–समन्वयक	सह–समन्वयक
डॉ. दिवाकर मिश्र	डॉ. कुलदीप सिंह	डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा
सहायक आचार्य	सहायक आचार्य	सहायक कुलसचिव

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

हेल्पलाईन नम्बर :– 7073704054

हेल्पलाईन ईमेलः– helpdesk@jrrsu.in

वेबसाईट :

www.jrrsanskrituniversity.ac.in

https://psst2025.jrrsu.in

पीएसएसटी–2025
महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. पात्रता	–	शास्त्री / बी.ए. (संस्कृत विषय सहित)	(निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक / अर्हतांक के साथ)
	–	आचार्य / एम.ए. (संस्कृत)	
	–	कला स्नातक	

2. आवेदन शुल्क रूपये 500 / – (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र)

3. फोन परामर्श

(i) हैल्पलाईन न. 7073704054

(ii) संबंधित वेबसाईट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in & https://psst2025.jrrsu.in/**

4. पीएसएसटी 2025 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरे जायेंगे।

5. पीएसएसटी परीक्षा –2025 के आयोजन की तिथि **बेवसाइट का अवलोकन करते रहें।**

पी.एस.एस.टी 2025 में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :–

1. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा की पाठ्यबिन्दु एवं अंकयोजना :–
   - (i) पी.एस.एस.टी. 2025 परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा जिसके **चार** भाग होंगे।
   - (ii) सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।
   - (iii) प्रश्न–पत्र की भाषा संस्कृत होगी।
   - (iv) परीक्षा अवधि 3 घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। इसमें **Negative Marking** नहीं की जावेगी।
   - (v) **प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का स्तर शास्त्री / बी.ए. स्तर का होगा।**
   - (vi) प्रश्न–पत्र में सभी प्रश्न बहु विकल्पीय चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (आदर्श प्रश्न–पत्र प्रारूप पृ. 10 पर देखें।)
2. **पाठ्य बिन्दु – (i) संस्कृत भाषा–80 अंक। इसके दो भाग होंगे– क और ख।**
   - **क. भाषा दक्षता– 50 अंक** (विषय क्षेत्र–उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, सन्धि, समास, कृदन्त, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, अपत्यार्थक, मतुप् व णिच् सन्, वाच्य, कारक एवं उपपद विभक्ति तथा वाक्य शुद्धि)
   - **ख. संस्कृत वाङ्मय परीक्षण– 30 अंक** (विषय क्षेत्र– वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वेदांग तथा आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय)
   - **(ii) सामान्य ज्ञान– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थान, भूगोल, पर्यावरण, पुरस्कार, खेल–कूद, विशिष्ट दिवस, समसामयिक घटनाएँ तथा राजस्थान प्रान्त के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान)
   - **(iii) मानसिक योग्यता– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– मानवीय सम्बन्ध, कार्य–कारण सम्बन्ध, आधार–आधेय सम्बन्ध, संख्या क्रम, आरोह–अवरोह, वर्णमाला क्रम, सांकेतिक भाषा, समय–वार–दिन–घण्टे तथा दर्पण में समय का अभिप्राय)
   - **(iv) शैक्षिक अभिरुचि– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– शिक्षक–गुण एवं कर्त्तव्य, कक्षा अनुशासन, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा के आधार, शिक्षा मनोविज्ञान, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, मूल्य शिक्षा, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा समस्याएँ।)

प्री–शिक्षाशास्त्री टेस्ट–2025

: : प्रवेश नियम : :

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु **निर्धारित कुल सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर** शिक्षाशास्त्री (द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम) के लिए प्री–शिक्षाशास्त्री टेस्ट (पी.एस.एस.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की शास्त्री/आचार्य परीक्षा में अथवा संस्कृत विषय सहित स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो तथा सामान्य कला (स्नातक/स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित) –**न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक** प्राप्त करने वाले तथा प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पीएसएसटी के माध्यम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य होंगे। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने शास्त्री/आचार्य/संस्कृत विषय सहित स्नातक (बी.ए.)/स्नातकोत्तर (एम.ए) संस्कृत परीक्षा तथा सामान्य कला (स्नातक/स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित) में **न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक** (राज्य सरकार के नियमानुसार) प्राप्त किये हों, वे भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र हैं। वांछित न्यूनतम प्रतिशत की गणना में एक अंक (प्वाइन्ट में) भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होने पर आवेदक की अभ्यर्थना को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध कुल सीटों से आवेदन पत्रों की संख्या कम/समान होने पर पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षाशास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग में पात्रता का आधार अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत होगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की अर्हता परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होता है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (Older First) किया जावेगा। यदि जन्म तिथि भी समान होती है तो वरीयता का निर्धारण बारहवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा और यदि बारहवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत भी समान होगें तो वरीयता का निर्धारण दसवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।**
3. प्रथमतः संस्कृत विषय सहित अभ्यर्थियों को वर्गवार सीटें आवन्टित करने के पश्चात् शेष रही सीटों को प्रथम काउंसलिंग से ही सामान्य कला (संस्कृत रहित) वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित की जाऐंगी। सामान्य कला वर्ग (संस्कृत रहित) के अभ्यर्थियों को शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष में 6–माह का संस्कृत ब्रिज कोर्स एवं 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत भाषा अर्हता अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होगी और इसकी पृथक से परीक्षा भी देनी होगी।
4. राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक क्रमांक पं.18(1)शिक्षा–6/2016 दिनांक 19.05.2022 के निर्देशानुसार शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत सहित), आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) तथा सामान्य कला स्नातक/स्नातकोत्तर (संस्कृत विषय रहित) उत्तीर्ण/तृतीय वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर में बैठने वाले विद्यार्थी भी पीएसएसटी 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। (एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पीएसएसटी के लिए पात्र होंगे।) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम की उपाधि संस्कृत के बिना उत्तीर्ण होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एम.ए. संस्कृत में कर लिया हो वे भी पीएसएसटी 2025 के लिए पात्र होंगे। सामान्य कला संकाय के स्नातक भी उक्त पाठ्यक्रम के लिए अर्ह माने गये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रवेश हेतु महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय अर्हक परीक्षा की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही निर्देश पुस्तिका में अंकित 10 विषयों में से जिन अभ्यर्थियों के संस्कृत विषय के अतिरिक्त और कोई दूसरा शिक्षण विषय भी बनता हो, ऐसे अभ्यर्थी ही इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश

लेने के पात्र होंगें।

5. प्रवेश परीक्षा होने की स्थिति में पी.एस.एस.टी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।

6. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिये।

7. शिक्षाशास्त्री में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2025–26 से क्रमशः पारम्परिक धारा के अभ्यर्थियों के लिए 70 प्रतिशत एवं आधुनिक धारा के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया है तथा राजस्थान प्रदेश के बाहर के (अन्य राज्यों के) विद्यार्थियों हेतु 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के प्रावधान को भी समाप्त कर समान रूप से मैरिट के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया है (राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग का पत्रांक प18(1)शिक्षा–6/2016 दिनांक 19.05.2022)।

8. शिक्षाशास्त्री प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अपवर्ड मूवमेन्ट के संबंध में राज्य सरकार, संस्कृत शिक्षा विभाग के पत्रांक प18(1)संस्कृत शिक्षा/2016 दिनांक 22.06.2023 में दिए गए निर्देशानुसार किसी विद्यार्थी की कोई Grievance प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर, निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा तथा राज्य सरकार से इस बाबत प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. **प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :–**

(i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ....16 प्रतिशत

(ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये ....12 प्रतिशत

नोट :– राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा–1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं पर उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। यह आरक्षण अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा घोषित जिलों /क्षेत्र पर लागू होगा।

(iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ....21 प्रतिशत।

(iv) महिला अभ्यर्थी ....30 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

(V) दिव्यांग अभ्यर्थियों (दृष्टिहीन, मूक एवं बधिर, शारीरिक विंकलाग) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर – कुल 05 प्रतिशत।

(अ) जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ के सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक (सह आचार्य स्तर) से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ब) जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।

(vi) सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिये केवल (जल, थल, नभ) 05 प्रतिशत।

(vii) कार्मिक विभाग के अशा.टीप. सं. प. 7(1)कार्मिक/क–2/17 जयपुर दिनांक 08.03.19 के अनुसार अति पिछड़े वर्गों (MBC) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(viii) कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ0 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

<u>प्रवेश नियम 09 का स्पष्टीकरण</u>

(i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्रायः– पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति है। सगे भाई–बहिन भी रक्षाकर्मी के

वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हो और उनके माता–पिता जीवित न हों।

(iii) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए– सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण–पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(iv) विवाह विच्छिन्न महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ–पत्र भी कि उसने पुनः शादी नहीं की है देना होगा। इसी प्रकार विधवा वर्ग में होने का ग्राम पंचायत/म्यूनिसिपल बोर्ड के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान सभी वर्ग की महिला आवेदकों पर लागू होगा।

(v) राजस्थान का मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी–जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विवाहित महिला के सन्दर्भ में उसके पति का मूल निवास राजस्थान में उसका मूल निवास माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(vi) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं उन्हें भी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है, ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपने संरक्षक के नियोक्ता का प्रमाण पत्र और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण असत्य पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

(vii) EWS श्रेणी में स्थान/आरक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र जो एक वर्ष से अधिक अवधि का ना हो, रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

10. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सलिंग एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in** पर उपलब्ध होगी। काउन्सलिंग की समय सारणी समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे परिणाम की घोषणा के दिन से प्रमुख समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वेबसाइट देखते रहें। काउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से महाविद्यालयों का चयन करते समय (जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे) यह सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय का नाम नहीं लिखें जहां आपके द्वारा चुने गये अभ्यास शिक्षण (Practice Teaching) का विषय ही उपलब्ध न हो। अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से आवंटित महाविद्यालय रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित नहीं होने पर या काउन्सलिंग के माध्यम से जो कॉलेज उनको आवंटित किया गया है उसे अस्वीकार करने पर वे पीएसएसटी की अपनी वरीयता (मैरिट) खो देंगे । एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण (व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण) हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन शुल्क रु॰ 500/–(अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) है, जो Non-Refundable (वापसी योग्य नहीं) है।

ऑनलाइन काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रू॰ 5000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) समन्वयक पी.एस.एस.टी. 2025 के पक्ष में निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा कराने के पश्चात् ही शिक्षाशास्त्री प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। **यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत तथ्यों यथा– अभ्यर्थी द्वारा अर्हक परीक्षा उत्तीर्णता प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना, गलत कैटेगरी में अपने आपको पंजीकृत करना आदि के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन प्रवेश लेने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का सम्पूर्ण पंजीकरण**

राशि रू॰ 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) जब्त कर ली जावेगी एवं वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था द्वारा प्रवेश प्राप्त कर चुके प्रत्येक अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में कुल रू॰ 26930/– (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार नौ सौ तीस मात्र) या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क ऑनलाईन लिये जायेंगे। (रू॰ 5000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क + रू. 21930/– (अक्षरे रुपये इक्कीस हजार नौ सौ तीस मात्र) शिक्षण शुल्क कुल राशि रूपये 26930/– (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार नौ सौ तीस मात्र) ली जावेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क की राशि बढ़ायी जाती है तो उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करवानी होगी ।

11. **शुल्क वापसी**– चयनित अभ्यर्थी के आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में जमा की गई पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) मे से रूपये 200/– (अक्षरे रुपये दौ सौ मात्र) कटौती कर लौटा दिया जावेगा। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के पश्चात् किसी कारण से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया हो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम काउंसलिंग के पश्चात् उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में लौटा दी जायेगी। बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से होना अनिवार्य है।**

12. **महाविद्यालय को चाहिए कि रिपोर्टिंग के समय आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को प्रवेश दें। यदि आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश देने के बाद वह अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर /किसी भी कारण से अपात्र पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय से पाठ्यक्रम शुल्क राशि रूपये 26930/– की दुगनी राशि बतौर पेनल्टी वसूल की जावेगी तथा पात्रता संबंधी असत्य तथ्यों के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से बतौर पेनल्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार मात्र) जब्त कर ली जावेगी, शेष राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही लौटाई जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी को इस हेतु अंतिम काउंसलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, उक्त समयावधि पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।**

13. किसी भी अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर उसके द्वारा चयनित किसी भी शिक्षाशास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं हो जाता।

14. महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। महिलाओं को उनकी मैरिट के अनुसार सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में भी 30 प्रतिशत तक सीटें आवंटित की जा सकेंगी।

15. **शिक्षण विषय का चयन –**

(i) 'शिक्षण विषय' से अभिप्राय अभ्यर्थी द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर परीक्षा में लिये गये वैकल्पिक विषयों से है जिनकी दो वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ली गई हो।

(ii) शिक्षाशास्त्री में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को एक शिक्षण विषय अनिवार्यतः 'संस्कृत' लेना होगा। सामान्य कला स्नातक/स्नातकोत्तर (संस्कृत विषय रहित) छात्रों के लिए 6 माह का संस्कृत ब्रिज कोर्स एवं 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर में भाग लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी स्नातक उपाधि अथवा शास्त्री उपाधि परीक्षा इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान विषय में से कोई दो विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन्हें शिक्षा–शास्त्री परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान, (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने शास्त्री/बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है वे शिक्षाशास्त्री हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने के पात्र होंगे।

(v) शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षण विषय के रूप में एक विषय संस्कृत शिक्षण और दूसरा विषय जो शास्त्री में आंधुनिक विषय के रूप में पढा है, ही ले सकेंगे।

(vi) शिक्षण विषय के लिए स्नातक/अधिस्नातक के विषय की अनुपलब्धता पर स्नातक स्तर पर अनिवार्य (हिन्दी/अंग्रेजी) में से भी विद्यार्थी शिक्षण विषय का चयन कर सकेगा।

16. पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण–

(i) शिक्षा–शास्त्री पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने शास्त्री/आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री संस्कृत ऐच्छिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है अथवा सामान्य कला स्नातक/स्नातकोत्तर (संस्कृत विषय रहित) परीक्षा उत्तीर्ण की है। बी.ए. में संस्कृत विषय के बिना एम.ए. संस्कृत होने पर भी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की पात्रता रखता है। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत अतिरिक्त विषय लेकर तीन वर्षों की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की है वे भी शिक्षाशास्त्री में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो आचार्य/स्नातकोत्तर संस्कृत विषय से उत्तीर्ण है तथा उसमें न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हैं तो वे इस पाठ्यक्रम की पात्रता रखते हैं।

(ii) शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों मे जो विषय अभ्यास शिक्षण (Pratice Teaching) विषयों में अंकित है उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ हैं, उन्हें पीएसएसटी परीक्षा में नहीं बैठना चाहिये।

(iii) जो अभ्यर्थी पीएसएसटी 2025 के लिए रिपोर्टिंग कराने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी नहीं करता है तो उसे पीएसएसटी के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। रिपोर्टिंग की तिथि तक निर्धारित पात्रता–परीक्षा की मूल अंक तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(iv)(अ) शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार किसी अभ्यर्थी ने ऐसे महाविद्यालय से (इण्टरमीडिएट के बाद) त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है जहां प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली जाती और इस परीक्षा के प्राप्तांक भी द्वितीय वर्ष की प्राप्तांक सूची में श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं जोडे जाते, वह अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एस.एस.टी में बैठने योग्य नहीं है।

17. सामान्य निर्देश–

(i) अभ्यंर्थी को पीएसएसटी 2025 सामान्य निर्देशिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उसकी पालना करनी चाहिये।

(ii) प्रथमतः अभ्यर्थी को पीएसएसटी 2025 प्रवेश नियमों को अध्ययन कर अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देता है, यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या पीएसएसटी में भाग लेने हेतु पात्रता ही नहीं रखता क्योंकि, पीएसएसटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी का अपना जोखिम है। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा परिणाम भी दे दिया जाता है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित साइज में **छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान** अपलोड़ करें (बायें हाथ का अंगूठा नहीं होने की स्थिति में दाहिने हाथ का अंगूठा निशान, दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं होने की स्थिति में किसी भी हाथ की अंगुली का निशान)। आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन–पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) प्रवेश अर्हता सम्बन्धी असत्य तथ्यों को प्रमाणीकृत करने तथा इनके आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी। ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालय पर कार्यवाही करते हुए पाठ्यक्रम शुल्क की दुगनी राशि बतौर पैनल्टी वसूल की जाएगी तथा न्यायिक वाद की स्थिति में वाद सम्बंधी समस्त व्यय राशि भी महाविद्यालय से वसूल की जाएगी।

(v) पी.एस.एस.टी. 2025 आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य **(Refundable)** नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।

(vi) शास्त्री/आचार्य उपाधि से अभिप्राय इस विश्वविद्यालय की शास्त्री या आचार्य उपाधि या राजस्थान राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के समतुल्य अन्य परीक्षा जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो।

(vii) पीएसएसटी काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी के द्वारा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम को छोड़ने की स्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा जमा शिक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य **(Refundable)** नहीं है।

18. **परीक्षा में उत्तर चयन–**

(i) परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप **काली स्याही** के बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। एक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक गोले को ही गहरा काला करें। एक बार गोला काला कर या डॉट आदि लगाकर उसे काटना या हटाना उचित नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में यदि एक से अधिक गोलों पर कोई निशान आने पर उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। कम्प्यूटर स्कैनिंग से मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

(ii) टेस्ट बुकलैट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करे और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करे।

19. **महाविद्यालय का आवंटनः–**

(i) अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की मैरिट सूची पी.एस.एस.टी. 2025 नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ii) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट में वरीयता का आधार प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र के संस्कृत भाषा भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक होंगे। यदि इसमें भी समानता पाई जाती है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (older first) किया जावेगा। जन्म दिनांक के समान होने पर मैरिट का आधार अर्हक (स्नातक/स्नोतकोत्तर) परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान होंगे तो वरीयता का निर्धारण बारहवीं/समकक्ष परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा और यदि बारहवीं/समकक्ष परीक्षाओं के प्राप्तांक भी समान होंगे तो वरीयता का निर्धारण दसवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

(iii) राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्थानान्तरण नहीं होगा।

(iv) प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के मध्य महाविद्यालय का परस्पर स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

20. **आवेदन–पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश–**

आवेदन पत्र ऑन लाईन माध्यम से भरे जायेंगे। आवेदन पत्र में चाही गई विभिन्न सूचनाएँ (व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पत्राचार, बैंक विवरण, इत्यादि) निर्धारित कॉलम/स्थान पर अभ्यर्थी द्वारा सावधानी पूर्वक, सत्य एवं प्रमाणिक रूप से दी जानी चाहिए।

21. **आंवटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के दौरान निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–**

(i) आवेदन पत्र की प्रति एवं महाविद्यालय का आवंटन पत्र।

(ii) अर्हक परीक्षा की सभी अंक तालिकाओं की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(iii) सेकेण्डरी एवं सी.सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(iv) मूल निवास प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि।

(v) आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण–पत्र।

(vi) अन्य जो भी लागू हो, की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि।

22. प्रवेश पत्र बेवसाईट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे किसी स्थिति में प्रवेश पत्र न मिलने पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व उसे आवंटित परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क कर वांछनीय दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेना चाहिये। प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) में आवंटित केन्द्र का उल्लेख रहता है।

23. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में सत्र 2025–26 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध प्रवेश से संबंधित न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा एवं इसके लिए संपूर्ण रूप से प्राचार्य जिम्मेदार होगा।

24. परिणाम की घोषणा–

(i) परीक्षा परिणाम **www.jrrsanskrituniversity.ac.in** पर उपलब्ध होगा।

(ii) अभ्यर्थी की अंक सूची व अन्य सूचनाएँ ऊपर वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

25. पीएसएसटी–2025 से संबन्धित नवीनतम सूचना के लिए समय–समय पर वेबसाईट **jrrsanskrituniversity.ac.in** का अवलोकन करते रहे, अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना नही दी जायेगी।

26. महाविद्यालयों हेतु विशेष निर्देश :–

1. महाविद्यालय को यह निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सूचनाएं पूर्ण एवं सत्य प्रविष्ट करें।
2. अभ्यर्थी द्वारा जब महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की जाती है तो आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियों की जांच करते हुए उनके सही एवं प्रमाणिक पाए जाने पर ही उन्हें प्रवेश देने हेतु पोर्टल पर कार्यवाही सम्पादित करें
3. जो अभ्यर्थी महाविद्यालय में आवंटित किए गए हैं परन्तु जो रिपोर्टिंग हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उनके संबंध में पोर्टल पर कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावे
4. जो अभ्यर्थी महाविद्यालय को आवंटित किए गए है तथा जो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करते है उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं को प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेज/अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से भली–भांति जांच उपरान्त ही प्रवेश देवें । गलत तथ्यों के आधार पर प्रवेश देने पर महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा ।
5. महाविद्यालय को यह सूचित किया जाता है कि उक्त डेटा का उपयोग भविष्य में परीक्षा आवेदन पत्रों हेतु भी किया जा सकता है, तत्समय आपके/अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अप्रमाणित व गलत सूचनाओं को संशोधन/बदलाव किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगें। ई–मित्र अथवा अन्य किसी पर दोषारोपण किया जाना प्रमाणित नहीं माना जावेगा।
6. यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण विश्वविद्यालय में प्राप्त होते हैं, तो पीएसएसटी, पीएसएसएसटी, पीएसएटी –2025 संचालन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

नोट– सामान्य कला स्नातक/स्नातकोत्तर (संस्कृत विषय सहित)/सामान्य कला स्नातक/स्नातकोत्तर (संस्कृत विषय रहित) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रकृत नियमान्तर्गत शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु आवेदन, महाविद्यालयों में प्रवेश, विषयों का चयन, आवंटित विषयों का अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त होने वाली अंकतालिका एवं उपाधि राज्य सरकार, एनसीटीई व विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित एवं संशोधित नियमों के अधीन एवं व्यापक जनहित में है। किसी भी आपत्ति का निवारण भी इन्हीं नियमों के अध्यधीन किया जा सकेगा।

महत्त्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तदनुसार प्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है या उन पर 2000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों हो सकती हैं।

समन्वयक
श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
कुलसचिव

अतिरिक्त समन्वयक
श्री मुकेश कुमार वर्मा
वित्त नियंत्रक

सह–समन्वयक	सह–समन्वयक	सह–समन्वयक
डॉ. दिवाकर मिश्र	डॉ. कुलदीप सिंह	डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा
सहायक आचार्य	सहायक आचार्य	सहायक कुलसचिव

आदर्श–प्रश्न–पत्रप्रारूपम् पीएसएसटी–2025
पूर्णांक : 200

1. संस्कृतभाषा–80 अङ्काः

'क' भागः भाषा दक्षता– 50 अङ्काः

1. ह्रस्वस्वराः कति भवन्ति?
अ. पञ्च　ब. नव　स. अष्टौ　द. त्रयोदश

2 दीर्घसन्धियुतं पदमस्ति?
अ. वृकोदरः　ब. मधूदकम्　स. मातृच्छेदः　द. वध्वागमनम्

3. 'दधि+अत्र' इत्यस्य सन्धिः भविष्यति?
अ. दधीत्र　ब. दध्यत्र　स. दध्यात्र　द. दधि अत्र

4. 'त्रिलोकी' इति पदे समासः कः?
अ. बहुव्रीहिः　ब. द्विगुः　स. कर्मधारयः　द. द्वन्द्वः

5. 'परमानन्दः' इति पदस्य विग्रहवाक्यं दर्शय–
अ. परमः च असौ आनन्दः　ब. परमं च आनन्दं च
स. परमश्च आनन्दश्च　द. परमः आनन्दः यस्य

6. 'भर्ता' अस्य तुमुन्नन्तं रूपं वर्तते–
अ. भरितुम्　ब. भर्तुम्　स. भ्रष्टुम　द. भारयितुम्

7. 'अध्यापकः' अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः?
अ. घञ् प्रत्ययः　ब. ण्वुल प्रत्ययः　स. कप् प्रत्ययः　द. णमुल प्रत्ययः

8. 'दा' धातोः लटि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपं भवति–
अ. ददन्ति　ब. दाष्यन्ति　स. दादन्ति　द. ददति

9. 'येनाङ्गविकारः' इत्यनेन विभक्तिः आयाति–
अ. द्वितीया　ब. तृतीया　स. चतुर्थी　द. पंचमी

10. शुद्धं वाक्यमस्ति–
अ. मातारं स्मरति शिशुः ब. शिशोः मातरं स्मरति स. स्मरन्ति मातरं शिशुः द. मातुः स्मरति शिशुः

'ख' भागः संस्कृतवाङ्मयपरीक्षणम्– 30 अङ्काः

1. आदिकाव्यमस्ति–
अ. रामचरितमानसम्　ब. महाभारतम्　स. रामायणम्　द. रघुवीरचरितम्

2. 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' इति पद्यांशो वर्तते–
अ. रघुवंशे　ब. महाभारते　स. रामायणे　द. कुमारसम्भवे

3. 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' केन कथितम्–
अ. दण्डिना　ब. विश्वनाथेन　स. मम्मटेन　द. भरतमुनिना

4. 'भट्टिकाव्यमिति' प्रसिद्धिः कस्य?
अ. शिशुपालवधस्य　ब. रावणवधस्य　स. नैषधीयचरितस्य　द. मध्यमव्यायोगस्य

5. भारवेः काव्यमस्ति–
अ. शिशुपालवधम्　ब. किरातार्जुनीयम्　स. नैषधीयचरितम्　द. रघुवंशम्

6. 'बृहत्कथामञ्जरी' इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लेखको वर्तते–
अ. विष्णुशर्मा　ब. क्षेमेन्द्रः　स. नरेन्द्रः　द. बिल्हणः

7. 'श्रीमद्भगवाद्गीता' महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति–
अ. उद्योगपर्वणि ब. शान्तिपर्वणि स. महाप्रस्थानपर्वणि द. भीष्मपर्वणि

8. 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' अत्र वृत्तमस्ति–
अ. वंशस्थम् ब. उपजातिः स. अनुष्टुप् द. इन्द्रवज्रा

9. 'हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गगङ्गामवगाहते' अत्र अलङ्कारोऽस्ति–
अ. उपमा ब. उत्प्रेक्षा स. अनन्वयः द. रूपकम्

10. दशरूपकेषु इदं नास्ति–
अ. नाटकम् ब. भाणः स. बिन्दुः द. डिमः

2. सामान्यज्ञानम्– 40 अङ्काः

1. 'चम्बल नद्याः' उद्गमस्थलं कस्मिन् प्रदेशे वर्तते?
अ. गुजरातप्रदेशे ब. मध्यप्रदेशे स. राजस्थानप्रदेशे द. महाराष्ट्रप्रदेशे

2. 'अन्तारांष्ट्रियमहिलादिवसः' – समाचरते–
अ. मार्च मासे अष्टम्यां तिथौ ब. अप्रैल मासे अष्टम्यां तिथौ
स. मार्च मासे दशम्यां तिथौ द. अप्रैल मासे दशम्यां तिथौ

3. राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापना कदा जाता?
अ. 2001 तमे वर्षे ब. 2000 तमे वर्षे स. 2002 तमे वर्षे द. 1999 तमे वर्षे

4. 1991 तमे ई. वर्षे 'नोबेल' शान्तिपुरस्कारः केन प्राप्तः?
अ. दलाईलामा महोदयेन ब. सू.ची.आंग सान महोदयेन
स. गोर्बाचोव महोदयेन द. विल्सन नेल्सन मंडेला महोदयेन

5. 'मीनाक्षीमन्दिरम्' कस्मिन् राज्ये अस्ति?
अ. कर्नाटके ब. तमिलनाडु राज्ये स. आन्ध्रप्रदेशे द. केरलराज्ये

6. 'मैगसेसे पुरस्कारः' कस्य स्मृतौ दीयमानोऽस्ति?
अ. अमेरिका देशस्य भूतपूर्व–राष्ट्रपतेः ब. फिलीपीन्स देशस्य भूतपूर्व–राष्ट्रपतेः
स. ग्रेटब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः द. पाकिस्तान देशस्य प्रधानमन्त्रिणः

7. भारते 'उपग्रहप्रक्षेपणकेन्द्रं' कुत्रास्ति?
अ. कोटानगरे ब. श्रीहरिकोटास्थाने स. बैंगलूरनगरे द. त्रिचूरनगरे

8. शरीरे अस्थीनां संख्या कियती?
अ. 216 ब. 206 स. 203 द. 214

9. भारतीयखगोलविज्ञानी कः?
अ. भास्कराचार्यः ब. वराहमिहिरः स. आर्यभट्टः द. आर्यशूरः

10. 'गीताञ्जजिः' कृतिरस्ति–
अ. सुरेंन्द्रनाथस्य ब. महेन्द्रनाथस्य स. देवेन्द्रनाथस्य द. रवीन्द्रनाथस्य

3. मानसिकयोग्यता – 40 अङ्काः

1. श्रृङ्खलायाः क्रमं पूरयत– ३, ५, १०, १२, २४, २६?
अ. २८ ब. ४८ स. ३० द. ५२

2. कस्याञ्चित् सङ्केतभाषायां SOHAN इति पदं RPGBM लिख्यते चेत् तस्यामेव संकेतभाषायां RATAN इति पदस्य लेखनं कथं भविष्यति–
अ. SBSBM ब. QBSAM स. QZSZM द. QBSBM

3. प्रथमपदेन सह द्वितीयपदस्य यः सम्बन्धः अस्ति तमेव सम्बन्धः तृतीयपदेन सह संस्थापयत–
नाटकम्–निर्देशकः, समाचारपत्रम्–?
अ. व्यवस्थापकः ब. सम्पादकः स. सम्वाददाता द. अधिष्ठाता

4. मम वयः मदीयभ्रातुः वयसः द्विगुणात् ४ वर्षाणि न्यूनम् अस्ति। यदि मम वयः १८ वर्षाणि तर्हि मम् भ्रातुः वयः कियत् अस्ति।
अ. ६ वर्षाणि ब. १० वर्षाणि स. १४ वर्षाणि द. ११ वर्षाणि

5. घट्याम् इदानीं ६ वादनम्। यदि घण्टा सूचिका पूर्वदिशं प्रति दृश्यते तर्हि क्षणनिदर्शिका सूची कां दिशं प्रति स्यात् ?
अ. पूर्वदिशं ब. पश्चिम दिशं स. उत्तरदिशं द. दक्षिणदिशं

6. वर्षे गणतन्त्र–दिवसः यदि रविवासरे आयाति तर्हि नूतन वर्षारम्भः कस्मिन् वासरे भविष्यति?
अ. बुधवासरे ब. शुक्रवासरे स. मंगलवासरे द. गुरुवासरे

7. यदि 'अ' इत्यस्य भ्राता 'ब' अस्ति, 'ब' इत्यस्य भगिनी 'स' अस्ति 'द' इत्यस्य भ्राता 'इ' अस्ति तथा 'द', 'अ' इत्यस्य पुत्री अस्ति तदा 'इ' इत्यस्य पितृव्यः कः ?
अ. द ब. स स. ब द. कोऽपिनास्ति

8. एकं रेलयानं यात्रायाः अर्धभागं ३० मील प्रति घण्टात्मिकया गत्या पूरयति, शेषार्धभागं च ६० मील प्रति घण्टात्मिकया गत्या पूरयति। यदि पूर्णम् अन्तरालं २० मील आसीत् तर्हि एतत् पूरयितुं यानं कियन्ति पलकानि स्वीकरष्यिति?
अ. ६० ब. ४५ स.३० द. १०

4. शैक्षिकाभिरुचिः – 40 अङ्काः

1. छात्रैः सह व्यवहारे किम् अधिकं महत्वपूर्णम्?
अ. प्रभुत्वम् ब. क्षमा स. धृतिः द. सहानुभूतिः

2. कश्चित् छात्रः प्रतिदिनं सविलम्बमायाति तर्हि शिक्षकः किं कुर्यात्?
अ. विलम्बकारणं विज्ञाय समयेनागमनाय प्रेरयेत्। ब. प्रधानाध्यपकदृष्टिमानयेत्।
स. शारीरिकदण्डेन दण्डयेत्। द. मातापितृभ्य सूचयेत्।

3. पाठान्तर्गतं किमपि विषयवस्तु दुरुहं कठिनं च अतः भवान्–
अ. अप्रष्टव्योऽध्याय इति छात्रान् सूचयिष्यति। ब. यथामति अध्यापयिष्यति।
स. तस्य मुख्यबिन्दून् एव अध्यापयिष्यति। द. सम्यक् अभ्यस्य पुनः अध्यापयिष्यति।

4. शिक्षकव्यवसायोद्देश्यमस्ति–छात्राणाम् आजीविकार्जनाय शिक्षणम्–
अ. न हि ब. आम् स. प्रायशः द. वक्तुं न पारयामि

5. राजस्थाने तृतीयभाषारूपेण इमाः पाठ्यन्ते–
अ. सिन्धी–उर्दु–गुजराती ब. राजस्थानी–उर्दु–सिन्धी
स. संस्कृत–सिन्धी–उर्दु द. उर्दु–गुजराती–ढूंढारी

6. शिक्षकस्येदं कर्तव्यम्–
अ. कक्षाप्रकोष्ठे शयनम् ब. छात्रैः सह वादोपवादः
स. अन्यैरध्यापकैः सह कलहः द. आत्मना पाठ्यमाने विषये प्रावीण्यधारणम्

7. शिक्षकः शिक्षणे मनोविज्ञानम् आश्रयेत्–
अ. सम्भवतः ब. सर्वदा स. नैव द. प्रायः

8. आवर्षं शिक्षणव्यवस्थायाः सुसञ्चालनाय प्राधानाचार्यः–
अ. छात्रान् अनुशासने स्थातुं आदेक्ष्यति। ब. शिक्षकान् यथासमयं विद्यालये आगन्तुम् आदेक्ष्यति।
स. वार्षिकपाठयोजनां निर्मास्यति। द. उपर्युक्तं सर्वम्।

9. मार्गे कलहं कुर्वतोः छात्रयोः भवान् केवलं कलहकारणं ज्ञास्यति–
अ. वक्तुम् अशक्यम् ब. आम् स. नैव द. सम्भवतया

10. अधोलिखितेषु शिक्षायाः मुख्यमङ्गम्–
अ. छात्रः ब. शिक्षकः स. पाठ्यक्रमः द. विद्यालयः

शिक्षाशास्त्री हेतु विद्यालय शिक्षण विषय

विषय

हिन्दी
अंग्रेजी
सामाजिक अध्ययन
नागरिक शास्त्र
भूगोल
इतिहास
अर्थशास्त्र
गृहविज्ञान
गणित
संस्कृत

परीक्षा केन्द्र का नाम

परीक्षा केन्द्र (राजस्थान)

जयपुर
अजमेर
उदयपुर
अलवर
सीकर
कोटा
बांसवाड़ा
जोधपुर
बीकानेर
सवाई माधोपुर
भरतपुर

परीक्षा केन्द्र (राजस्थान से बाहर)

दरभंगा (बिहार)
दिल्ली
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
बनारस (उत्तर प्रदेश)
मथुरा (उत्तर प्रदेश)
उज्जैन (मध्य प्रदेश)
द्वारिका (गुजरात)
रोहतक (हरियाणा)
जगन्नाथपुरी (उडीसा)
कलकत्ता (प0बंगाल)
तिरूपति (आंध्र प्रदेश)

(नोट– 1. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को तीन परीक्षा केन्द्रों का चयन वरीयता आधार पर करना होगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी दो परीक्षा केन्द्र राजस्थान राज्य के बाहर के चयन कर सकते हैं तथा तीसरा परीक्षा केन्द्र राजस्थान का चयन करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी तीनों परीक्षा केन्द्र राजस्थान राज्य के चयन कर सकते हैं।

2. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रों के संबंध में बदलाव किया जा सकता है इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। राजस्थान राज्य के बाहर परीक्षा केन्द्रों हेतु 50 आवेदकों से कम आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जावेगा।)

3. अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक परीक्षा केन्द्रों का चयन करना चाहिए।

स्नातक परीक्षा के विषय

नागरिक शास्त्र
अर्थशास्त्र
अंग्रेजी
भूगोल
हिन्दी
इतिहास
गणित
संस्कृत
समाजशास्त्र
राजनीति विज्ञान
लोकप्रशासन
दर्शनशास्त्र
मनोविज्ञान
गृहविज्ञान